न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 364/17 निर्णय दिनांकः– 21–01–2020

1. अकबर पुत्र अहमद बक्स जाति मुसलमान निवासी गणेशवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–04–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–04–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 10 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 176/53 के विशेष आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान करावें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–04–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 09–10–17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–04–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09–10–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 10 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 176/53 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस क्रमांक 1101 दिनांक 19–04–2000 द्वारा वांछित सबूत यथा सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, पति या पिता का व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र मय 35 प्रतिशत राशि 48885/– जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं वांछित सबूतों मय राशि सहित उपस्थित आवे। किन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इस आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया क्योंकि नोटिस व रजिस्टर्ड लिफाफा आवंटन पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना उसके विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 28–04–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन/अन्यथा समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21–01–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: